



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 896 / SEIAA/2022

Date: 28/6/22

प्रति,

श्रीमती मनुप्रिया यादव,
निवासी- भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा
जिला - मंदसौर (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 8999/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मनुप्रिया यादव, निवासी- भैसोदा मण्डी, तहसील भानपुरा जिला - मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकारस्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), खसरा नं. 1232, रकबा 2.652 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर -8,512 एवं सेलेबल वेस्ट 5,488 घनमीटर प्रतिवर्ष, ग्राम बवुल्दा, तहसील भानपुरा जिला- मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 733 वी बैठक दिनांक 21.06.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र क्र. 2380 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नहीं होना उल्लेखित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार अन्य खदान परिलक्षित है एवं क्रेशर भी स्थापित है। इस कारण आवेदित प्रकरण बी-1 अथवा बी-2 श्रेणी का है, यह स्पष्ट नहीं होता है। अतः खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाने का निर्णय लिया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। "

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में खनिज अधिकारी, मंदसौर से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वांछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाये। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।



% (विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 897 /SEIAA/2022

दिनांक - 28/6/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - मंदसौर (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - मंदसौर (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल- 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - मंदसौर (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।


% (आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी